



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 28.09.2021 को थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री लाखन सिंह द्वारा उ0नि0 मलखान सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मूरत सिंह पुत्र शिवदयाल सेन नि. ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक कपड़े के झोले में 15 क्वार्टर शराब देशी नाजायज बरामद की गई, बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय में मु.अ.स. 172/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मूरत सिंह पुत्र शिवदयाल सेन नि. ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. मलखान सिंह थाना अजनर जनपद महोबा
2. हे.का. राजकुमार थाना अजनर जिला महोबा
3. का.रवि कुमार थाना अजनर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री लाखनसिंह द्वारा गठित उ.नि. मलखान सिंह के नेतृत्व में टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सम्बन्धित विषेश वाद संख्या 69/16 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न. 02 विशेष न्यायाधीश (ST/ST) महोबा उ.प्र. के वारण्टी अभियुक्त खचोरी उर्फ प्रमोद लोधी पुत्र दयाराम निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा उम्र 45 वर्ष को ग्राम खमा से गिरफ्तार किया गया, वाद आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त -

खचोरी उर्फ प्रमोद लोधी पुत्र दयाराम उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. मलखानसिंह थाना अजनर जिला महोबा
2. हे.का. राजकुमार थाना अजनर जिला महोबा
3. का. रवि कुमार थाना अजनर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित व0उ0नि0 आनन्द कुमार के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/2021 धारा 364/302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल कुमार दुबे पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 29 वर्ष थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा को पुलिस लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

राहुल कुमार दुबे पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 29 वर्ष निवासी बृजपुर थाना चरखारी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 प्रमोद कुमार यादव 3. रि0कां0 सुशील गुप्ता





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द्र उम्र 32 वर्ष 2. राजकुमार पुत्र फूलचन्द्र उम्र 27 वर्ष 3. जीतेन्द्र पुत्र बाबूलाल पाल उम्र 28 वर्ष 4. मोहित पुत्र टुट्टी यादव उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम बिलवई थाना कोतवाली जनपद महोबा, वारण्ट माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा सम्बन्धित मु0नं0 – 2473/2020 धारा 308/323/504 भादवि अपराध सं0 – 212/20 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तों को ग्राम बिलवई थाना कोतवाली महोबा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु प्रेषित किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 रामेन्द्र सिंह 3. कां0 शिवकुमार

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द्र उम्र 32 वर्ष
2. राजकुमार पुत्र फूलचन्द्र उम्र 27 वर्ष
3. जीतेन्द्र पुत्र बाबूलाल पाल उम्र 28 वर्ष
4. मोहित पुत्र टुट्टी यादव उम्र 22 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बिलवई थाना कोतवाली जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को किया गया जागरूक ।

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं निर्भीक बनाने हेतु लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है ।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल महोबा में जाकर तथा प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री शशि कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में व उ0नि0 नीलम यादव चौकी प्रभारी महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की उपस्थिति में थाना चरखारी अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से “मिशन शक्ति फेज 3.0” अभियान के तहत स्कूल की सभी छात्राओं को जागरूक किया गया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों **1090** वूमेन पावर लाइन, **181** महिला हेल्पलाइन, **108** एंबुलेंस सेवा, **1076** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **112** पुलिस आपातकालीन सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **102** स्वास्थ्य सेवा, **155260** साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वारण्टी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम ने 01 नफर अभियुक्त बालकृष्ण उम्र 55 वर्ष पुत्र हरीराम कुशवाहा निवासी मुहल्ला शेखनफाटक रायनपुर कस्बा व चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 222/21 धारा 323/147/504/506/332/353 **IPC** व धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व धारा 3 a/3 b उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण अधि) 2013 व मु0अ0सं0 228/21 धारा 147/149/332/353/341/504 **ipc** व 7 **C.L.A** को मनसुख तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक विधिक अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 विनोद सिंह 2. का. चन्दन सिंह 3. का. राहुल यादव

गिरफ्तार अभियुक्त -

बालकृष्ण उम्र 55 वर्ष पुत्र हरीराम कुशवाहा निवासी मुहल्ला शेखनफाटक रायनपुर कस्बा व चरखारी जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने साइबर अपराधों से बचाव हेतु अभियान चलाकर किया जागरूक ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे साइबर अपराधों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के अभियान के तहत आज दिनांक 29/09/2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल का आयोजन कर उपस्थित लोगों को साइबर अपराध के प्रकार बताते हुये उससे बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई । इसी क्रम में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना पर तत्काल **हेल्पलाइन नम्बर -155260/112** डायल कर शिकायत दर्ज की जानकारी प्रदान की गई तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी ,आधार कार्ड या मोबाइल पर आये ओ0टी0पी0 या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई । इसी क्रम में सोशल एकाउन्ट व बैंक खातों पर पासवर्ड स्ट्रॉंग बनाने व किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच लेने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई । साथ ही एटीएम के सुरक्षित इस्तेमाल व एटीएम मशीन के प्रयोग करने के दौरान विशेष सावधानियाँ बरतने हेतु अवगत कराया गया ।



साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1. साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर- 155260/112 पर दे जिससे धनराशि खाते में ड्रॉव्ड करायी जा सके ।
2. साइबर अपराध, एलसीआरपी पोर्टल की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें ।
3. खाते में क्रे.वाई.सी. अपडेट करवाने के लिए बैंक द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी / ओटीपी / सीवीवी / पिन नम्बर नहीं मांगी जाती है ।
4. किसी के कहने से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें ।
5. किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच लें ।
6. ऑनलाइन सेवार्प प्रदान करने वाली कंपनियों व सरकारी विभाग / कंपनियों के कम्प्यूटर केमर का नम्बर अधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें ।
7. अज्ञात व्यक्ति / अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को क्लिक न करें ।
8. सरकारी डॉक्यूमेंट, वेबसाइट या फण्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही वित्तीय लेनदेन करें ।
9. किसी से पैसे प्राप्त करते समय अपनी यूटीआई आईडी / पासवर्ड न डालें, पैसे प्राप्त करते समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
10. वॉलेट अपडेट और क्रेवाईसी नजदीकी ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर ही करावें ।
11. अपने सोशल एकाउन्ट व बैंक खाते पर पासवर्ड स्ट्रॉंग बनायें, जिससे नम्बर, अक्षर व चिन्ह सीमा ही, साथ ही टू-स्टेप-वैरीफिकेशन लगायें रखें ।

महेन्द्र प्रताप सिंह | तेजबहादुर सिंह | राजकुमार गौतम | सुधा सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस ने किया पैदल गस्त व संदिग्धों की चेकिंग



आज दिनांक **29.09.2021** को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के. गौतम के कुशल नेतृत्व में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **354** ई-चालान एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **20** व्यक्तियों में **2200** रु० वसूला गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police